

वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: एफ.1(16)एफ.डी./नियम-98 दिनांक: 24.05.2007 के अनुसरण में निम्नांकित राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री फूसाराम शर्मा पुत्र श्री बिहारीलाल शर्मा	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1	कलेक्टर, श्रीगंगानगर	02.09.1960	30.09.2020
2	श्री नेमीचन्द शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1	कलेक्टर, भरतपुर	01.04.1960	31.03.2020
3	श्री प्यारेलाल पुत्र श्री मखन राम	सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1A	कलेक्टर, झुंझनुं	02.02.1960	29.02.2020

उपरोक्त समस्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(विनीता श्रीवास्तव)

निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दिनांक : 19/11/2019

क्रमांक: सम/ 2343-60  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मान0 अध्यक्ष महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सहायक, निबंधक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त बीकानेर/भरतपुर/जयपुर
4. जिला कलेक्टर- झुंझनुं / श्रीगंगानगर / भरतपुर
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आय), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. संयुक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग-भरतपुर/जयपुर/बीकानेर/
7. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) को राजस्व मण्डल की वेबसाईट पर अलपोल करने हेतु।
8. श्री \_\_\_\_\_, सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-1 एवं 1A द्वारा-जिला कलेक्टर.....
9. प्रभारी अधिकारी गोपनीय शाखा/विभागीय जांच शाखा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
10. आदेश /निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निबंधक(वित्त एवं लेखा)  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर